न्यायहित में अतिरिक्त अंतिम अवसर दिया जाकर एवं तलबी शेष प्रतिवादीगण जरिये Reg AD सम्मन से की जाकर पत्रावली दिनांक 17/11/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

17/11/25

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील द्वारा प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11 CPC का जवाब पेश नहीं किया गया अतः जवाब बंद किया जाता है। प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11 CPC पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 24/11/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

24/11/25

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष [illegible] प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वाद वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/11/25

उप जिला मजिस्ट्रेट
बांदीकुई

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा
मु.न. 94/2025
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 26.05.2025
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11
निर्णय दिनांक 24.11.2025

उनवान
रामकरण वगै. बनाम अर्जुन वगै.

**दावा अधिघोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज**
**(प्रार्थना आदेश 07 नियम 11)**

## --निर्णय--

दिनांक 24.11.2025

प्रतिवादी संख्या 5 की और से प्रार्थना आदेश 07 नियम 11 सी.पीसी का पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बिना वादकारण उत्पन्न हुये पेश किया है। वादीगण द्वारा भूमि वादग्रस्त बाबत एक प्रार्थना–पत्र उनवानी रामकरण बनाम सरकार पेशकर भूमि वादग्रस्त को सिवाय चक अंकित करवाने बाबत प्रतिवादी नं. 13 से रेफरेंस बनवाकर मंगवाने की रिलिफ चाही है। उक्त तथ्य वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 10 में अंकित किये है और श्रीमान् के समक्ष भूमि वादग्रस्त की खातेदारी एडवार्स पजेशन के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने की रिलिफ चाही है। एक ही पक्षकार द्वारा एक ही भूमि वादग्रस्त बाबत भिन्न–भिन्न एवं विरोधाभासी रिलिफ चाहने से स्पष्ट है कि वादीगण ने किसी प्रकार का कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न ही नहीं हुआ है। दावा खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन का यह सुस्थापित मत है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ऐसे में वादीगण द्वारा वादपत्र में खातेदारी अधिकार एडवर्स पजेशन के आधार पर ही चाहे गये है जो कानूनन संभव नहीं है। ऐसे में वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतएव प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही किया गया उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण प्रार्थना पत्र बहस पर नियत किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादीगण द्वारा भूमि वादग्रस्त बाबत एक प्रार्थना–पत्र उनवानी रामकरण बनाम सरकार पेशकर भूमि वादग्रस्त को सिवाय चक अंकित करवाने बाबत प्रतिवादी नं. 13 से रेफरेंस बनवाकर मंगवाने की रिलिफ चाही है। उक्त तव्य वादीगण द्वारा वादपत्र के पैरा सं. 10 में अंकित किये है और श्रीमान् के समक्ष भूमि वादग्रस्त की खातेदारी एडवार्स पजेशन के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी इन्द्राज दर्ज करने की रिलिफ चाही है। एक ही पक्षकार द्वारा एक ही भूमि वादग्रस्त बाबत भिन्न–भिन्न एवं विरोधाभासी रिलिफ चाहने से स्पष्ट है कि वादीगण ने किसी प्रकार का कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न ही नहीं हुआ है। दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादी/ अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय दौसा के प्रकरण संख्या 39 / 2025 में वाद ग्रस्त भूमि से सम्बन्धित वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया था। जिसमें वादग्रस्त भूमी को सिवाय चक घोषित करने की इस्तदुआ चाही गयी है। जबकि उक्त वाद में वादग्रस्त भूमी की खातेदारी वादीगण ने अपने नाम चाही गयी है। जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा वाद बिना किसी काज ऑफ एक्शन के पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा पेश दावा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

24/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई